दिनांक- 14.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

“थाना बेहट पुलिस का बड़ा एक्शन: अवैध खनन पर कड़ा प्रहार, 05 वाहन जब्त

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक **14.01.2026** को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी बेहट श्री मानवेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री सतपाल सिंह भाटी** के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन में प्रयुक्त **05 ट्रक जब्त किये गए।** ये वाहन बिना प्रपत्र, बिना रॉयल्टी, ओवरलोड व खनन के पुराने चालान लम्बित आदि पाए गए। वाहनों से अवैध उपखनिज सामग्री भी बरामद की गई।

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री एस.एन. वैभव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर
2. श्री अभिलाष चौबे खान निरीक्षक जनपद सहारनपुर (मय राजस्व टीम)
3. सतपाल सिंह भाटी, प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट, सहारनपुर
4. उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. कां0 2324 रवि कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 173 रोहित कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:14.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 हिचके चाईनींज मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चाईनींज मांझा की बिक्री की रोकथाम व इसके कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.01.2026 को थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **अभिषेक गुप्ता पुत्र मांगेराम गुप्ता निवासी भगवानपुर चौक कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को हरौडा कट की ओर जाने वाली सर्विस लेन के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11 हिचके चाईनींज मांझा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 19/26 धारा 223/125 बीएनएस एंव 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभिषेक गुप्ता पुत्र मांगेराम गुप्ता निवासी भगवानपुर चौक कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

11 हिचके चाईनींज मांझा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित थाना गागलहेडी सहारनपुर
2.उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3.है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4.है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर।

दिनांक 14.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 26 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 5,20,000/- रू0) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा 2.0"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.01.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त ***विकास उर्फ साहिल पुत्र राजपाल निवासी म0नं0 438 गली नं0 2 ज्योति नगर थाना सदर बाजार जनपद करनाल हरियाणा*** को आलमपुर चौराहे,कस्बा गंगोह के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध स्मैक कुल वजन 26 ग्राम बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 28/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विकास उर्फ साहिल उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विकास उर्फ साहिल पुत्र राजपाल निवासी म0नं0 438 गली नं0 2 ज्योति नगर थाना सदर बाजार जनपद करनाल हरियाणा

बरामदगी का विवरणः-

- कुल वजन 26 ग्राम (अवैध स्मैक)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 14.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मृतक हिस्ट्रीशीटर मुस्तकीम पुत्र बुद्धु नि0 ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर का हिस्ट्रीशीट खाका कराया नष्ट -

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे हिस्ट्रीशीटर की निगरानी के आदेश के क्रम मे चैकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र बुद्धु निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर (हिस्ट्रीशीट न0 1-ए) की मृत्यु बीमार के कारण होना पाया गया । मृतक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त का एचएस खाका नष्ट करने के सम्बन्ध मे रिपोर्ट उच्चाधिकारी गणो के समक्ष प्रेषित की गई । मृतक का एचएस खाका पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी गंगोह की मौजूदगी मे नियमानुसार नष्ट कराया गया।

मृतक हिस्ट्रीशीटर का नाम व पताः-

1. मुस्तकीम पुत्र बुद्धु नि0 ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर (हिस्ट्रीशीट न0 1-ए)

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 131/87 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 262/87 धारा 394 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 485/09 धारा 123(ख) ZLR एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 224/23 धारा 147/148/149/327/336/342/307/452/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक 14.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी/गौकशी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त की निगरानी हेतू हिस्ट्रीशीट खुलवाई गई

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी / गौकशी / अन्य जघन्य अपराध की रोकथाम के लिए उक्त अभियोगो मे सलिप्त अभियुक्तो की निगरानी हेतु प्रभावी कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,मादक पदार्थों की तस्करी/गौकशी/जघन्य अपराधो मे सलिप्त अभियुक्तो के विरूद्ध प्रभावी व अपराध की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे थाना गंगोह पर अभियुक्त नौशाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर की प्रभारी निरीक्षक गंगोह सहारनपुर की प्रेषित हिस्ट्रीशीट-खाका के आधार पर दिनाक 12.01.2026 को हिस्ट्रीशीट (न0 18-बी) श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर द्वारा अनुमोदित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र 35 वर्ष (हिस्ट्रीशीट न0 18-बी)

अभियुक्त नौशाद का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 614/15 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 428/429 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0स0 29/18 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 505/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 24/20 धारा 147/148/452/323/307/308/504/506/427 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 564/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 264/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 239/25 धारा 191(2)/191(3)/333/115(2)/118(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 380/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. मु0अ0स0 503/19 धारा 147/323/325/504/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
10. मु0अ0स0 338/12 धारा 356/392 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
11. मु0अ0स0 343/12 धारा 392 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
12. मु0अ0स0 450/12 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
13. मु0अ0स0 232/12 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

दिनांक 14.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 08 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये पीली धातु के जेवारात(कीमत करीब 20 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि वादी श्री रईस अहमद पुत्र नूर अहमद पीर वाली गली नं0 8 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत रात के समय छत के रास्ते घर में घुसकर घर में रखे जेवरात अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने के संबंध में थाना मण्डी पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 18/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,चोरी,लूट,डकैती,नकबजी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरानमात्र 08 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1. साऊद पुत्र रईस अहमद निवासी पीर वाली गली न0 08 थाना मण्डी सहारनपुर 2. मोईनुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी निवासी पीर वाली गली न0 08 थाना मण्डी सहारनपुर** को 62 फुटा रोड पर मण्डी समिति के पास से गिरफ्तार किया गया।जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी गये पीली धातु के जेवरात**02 गले के सैट ,02 मंगलसूत्र ,01 मटरमाला,02 जोडी टोप्स/झुमकी,01 जोडी टोप्स (जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये)**बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकिया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हमें पैसों की जरुरत थी जिस कारण हम दोनों ने मिलकर साऊद के पिता के घर में

रात में छत के रास्ते घुसकर ताला तोडकर जेवरात चोरी किये थे जिन्हे हमने आपस में बाँट लिया था।आज जब हम दोनो चोरी गये जेवरात को बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.साऊद पुत्र रईस अहमद निवासी पीर वाली गली न0 08 थाना मण्डी सहारनपुर
2. मोईनुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी निवासी पीर वाली गली न0 08 थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- पीली धातू के जेवरात(02 गले के सैट 02 मंगलसूत्र, 01 मटरमाला, 02 जोडी टोप्स/झुमकी, 01 जोडी टोप्स)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 रोजन्त त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मण्डी सहारनपुर
3. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
4. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
5. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
6. हे0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी सहारनपुर
7. हे0का0 633 फुरकान अली थाना मण्डी सहारनपुर
8. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14-01-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय आदेशानुसार जिला बदर को 06 माह के लिये निष्कासित किया गया

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व अभियुक्तगणो के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगहो के निकट पर्यवेक्षण में व श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा गौकशी, NDPS Act, हत्या के प्रयास आदि जघन्य अपराधो मे लिप्त गुण्डा किस्म के अपराधी ***कालू उर्फ कुरबान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम कुण्डाकलां थाना गंगोह जिला सहारनपुर*** के विरूद्ध धारा 3 यू0पी0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी जिसपर मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए अभि0 कालू उर्फ कुरबान उपरोक्त को जनपद की सीमाओं से 06 माह के लिये निष्कासित करने के आदेश पारित किये गये। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभि0 कालू उर्फ कुरबान उपरोक्त को मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत कराकर जनपद की सीमाओं से बाहर छोड़ा गया।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पताः-

कालू उर्फ कुरबान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम कुण्डाकलां थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त कालू उर्फ कुरबान का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 526/15 धारा 307 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 527/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 894/19 धारा 147/323 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 209/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना गंगोह सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 95/23 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 289/15 धारा 147/148/307/323/324/452/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 509/19 धारा 147/148/149/307/323/324/452 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 159/09 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11घ पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 63/10 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 430/14 धारा 198 ZALR ACT व 427/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर

<u>पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव थाना गंगोह सहारनपुर
3. है0का0 141 विपिन कुमार थाना गंगोह सहारनपुर

दिनांकः 14.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2026 को वादी श्री नाथाराम पुत्र श्री मांगेराम निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 16/26 धारा 85/80(2) बीएनएस एंव ¾ दहेज अधिनियम बनाम सुजीत आदि 04 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्त सुजीत उपरोक्त को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त टना का तत्काल संज्ञान लेकर दहेज हत्या की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. (अभियुक्ता) संयोगिता पत्नी योगेश कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 2. अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को ग्राम सलेमपुर में घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. संयोगिता पत्नी योगेश कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. योगेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3.है0का0 1150 विकास पुनिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4.है0का0 1296 अंकुर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5.म0का0 1449 शुभम शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14.01.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

सहारनपुर पुलिस की सोशल मीडिया पर सतत निगरानी,दुरुपयोग कर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 03 आरोपियो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में समाज में सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर धमकी देना, अवैध असलाह का प्रदर्शन करना, जातिगत/धार्मिक आपत्तिजनक टिप्पणी करना तथा महिलाओं के सम्बन्ध में ब्लैकमेलिंग एवं अश्लील सामग्री पोस्ट कर भय, वैमनस्य व सामाजिक वातावरण खराब करने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए “ऑपरेशन डिजिटल मनबड” की शुरुआत की गयी थी इस विशेष अभियान के अन्तर्गत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों की पहचान हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही आपत्तिजनक व भड़काऊ गतिविधियों पर रोक महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज में सौहार्द, शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। टास्क फोर्स ऐसे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, आईडी व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की गहन निगरानी कर मनबड की पहचान की जा रही है। टास्क फोर्स द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर समाज मे असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने वाले 03 व्यक्तियो को चिन्हित कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण-

1.**थाना सरसावा-** मु0अ0स0 17/2026 धारा 353(1)b B.N.S बनाम अजय कुमार सिद्धार्थ पुत्र भरत सिह निवासी पिलखनी थाना सरसावा सहारनपुर

2.**थाना कुतुबशेर**-मु0अ0स0 22/2026 धारा 353(2) B.N.S. बनाम राजन पुत्र महावीर सिह निवासी रामगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3.**थाना गंगोह**-मु0अ0स0 27/2026 धारा 299/302 B.N.S. बनाम रोहित पुत्र चन्द्रपाल निवासी बीराखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.01.2026

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम व इसकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.01.2026 को चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त **नीरज कर्णवाल उर्फ शेरू पुत्र जयलाल नि0 कोल डिपो वाली गली मौ0 टाकान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को डिग्री कालेज रोड़ से विद्यार्थी तिराहे की तरफ बायपास रोड पर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 25 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा मार्का की बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 29/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नीरज कर्णवाल उर्फ शेरू पुत्र जयलाल नि0 कोल डिपो वाली गली मौ0 टाकान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-01-2026

थाना गंगोह पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 10 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 4.3 किलोग्राम) बरामद ।

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व प्रतिबंधित चाईनीज मांझा आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.01.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **मौ0 सलीम पुत्र अबदुल हमीद नि0 मौ0 कोटला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मेला रोड कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 गिट्टी प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 30/26 धारा 223बी/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 सलीम पुत्र अब्दुल हमीद नि0 मौ0 कोटला कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 10 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 4.3 किलोग्राम)

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
4. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

दिनांकः 14-01-2026

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 07 चरखी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 3.8 किलोग्राम) बरामद

*अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व प्रतिबंधित चाईनीज मांझा आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.01.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **रिजवान पुत्र अब्दुल वहीद नि0 मौ0 अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को बुढ्ढाखेडा मोड कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी / गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 31/26 धारा 223बी/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*

अभियुक्त का नाम व पता

रिजवान पुत्र अब्दुल वहीद नि0 मौ0 अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

07 चरखी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 3.8 किलोग्राम)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 931/19 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. का0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. का0 1663 सचिन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

दिनांक 14.01.2026

-प्रेस नोट-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-03 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.08.2022 को वादी नर सिंह पुत्र वीर सिंह नि0 बिजोपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनुपर द्वारा अभियुक्तों 1-धारा सिंह पुत्र तुगल सिंह 2-सुमित पुत्र धारा सिंह 3-सचिन पुत्र धारा सिंह समस्त निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनुपर के द्वारा वादी के चाचा फूलसिंह के घर में घुसकर उसके व उसके पुत्र सोनू के साथ धारदार हथियार से हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0-343/2022 धारा 302/34,324/34,452 भादवि व दिनांक 18.09.2022 को अभियुक्त धारा सिंह पुत्र तुगल सिंह की निशानदेही पर अ0सं0 343/22 का आला कत्ल नाजायज बरामद होने की सूचना पर मु0अ0सं0-389/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0देहात पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग क्रमशः एसटी नं0-2924/2022 व 2925/2022 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-03 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 14.01.2026 को अभियुक्तगण 1-धारा सिंह पुत्र तुगल सिंह 2-सुमित पुत्र धारा सिंह 3-सचिन पुत्र धारा सिंह को मु0अ0स0-343/2017 धारा 302/34,324/34,452 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रू0 का अर्थदण्ड व अभियुक्त धारा सिंह पुत्र तुगल सिंह को मु0अ0सं0-389/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट का दोषी पाते हुए 02 वर्ष कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी

विवेचक- निरीक्षक श्री मनोज चहल

पैरोकार- का0 2328 कौशल कुमार थाना को0देहात सहारनपुर।